



2026:AHC-LKO:40535

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7353 सन 2025

रंजन कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	सुधाकर प्रकाश, कपिल कुमार यादव
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 123 सन् 2025, अंतर्गत धारा 205, 318(2), 338, 336(2), 340(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 7/25 आयुध अधिनियम, पुलिस थाना - आलमबाग, जिला - लखनऊ में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 6.7.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक एक बेरोजगार युवक था और नौकरी की तलाश में था, तत्पश्चात, एक विकास



कुमार राय उससे मिला और उसे आश्वासन दिया कि वह उसे पुलिस कर्मों के रूप में नौकरी दिलाएगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विकास कुमार राय ने आवेदक को एक वर्दी भी उपलब्ध कराई और उसके बाद, आवेदक उसके साथ काम करने लगा, हालांकि, बाद में, पुलिस द्वारा इस आरोप के साथ उसे हिरासत में ले लिया गया कि आवेदक ने पुलिस कर्मों की वर्दी का दुरुपयोग करते हुए कई व्यक्तियों से धोखाधड़ी करके धन वसूल किया, लेकिन कथित धोखाधड़ी का एक भी पीड़ित नहीं मिला। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विकास कुमार राय को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि सह-अभियुक्त, विकास राय को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि कथित धोखाधड़ी का कोई पीड़ित नहीं मिला और सह-अभियुक्त, विकास कुमार राय को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

7. आवेदक - **रंजन कुमार** - को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त मुकदमा अपराध में जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष खुलासा करने से विमुख किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।



- (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दण्ड संहिता / धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध 174-क भारतीय दण्ड संहिता / धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।
- (vi) आवेदक को (क) मामले की शुरुआत, (ख) आरोप तय किए जाने; और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

[न्यायमूर्ति राजीव सिंह]

जून 8, 2026

गौरव/-